न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकर नगर

सरकार बनाम सईद मोहम्मद हमजा।
एस.टी. वाद संख्याः–27/2026, कं0सं0–72/2026
अपराध संख्याः–139/2021
धारा–302,201 भा0दं0सं0
थानाः–मालीपुर
जनपद–अम्बेडकर नगर।

13.02.2026

पत्रावली अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ब अन्तर्गत धारा–227,228 दं0प्र0सं0 पर आदेशार्थ नियत है। उभय पक्ष को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं0 6ब अन्तर्गत धारा 227,228 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे फर्जी एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूठा आरोपित किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामित अभियुक्त नहीं था। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गलत ढंग से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया जबकि प्रार्थी/अभियुक्त का कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उपरोक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना दिनांकः 25.09.2021 के बाबत स्थानीय थाना मालीपुर में अन्तर्गत धारा–379,228 भादं0वि0 दिनांकः 30.09.2021 को 08:20 ए.एम. पर पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में बयान वादी और कथित घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आगे विवेचक महोदय द्वारा दिनांकः 01.10.2021 को प्रश्नगत कथित चोरीशुदा ट्रक की बरामदगी, एक मोटर साइकिल, 7 लाख 62 सौ रूपये, 5 अद्द मोबाइल व चार अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी सम्मिलित है, को अन्तर्गत धारा–379,328,411,413 भा0दं0वि0 गिरफ्तार किया गया। प्रश्नगत कथित चोरी की गयी ट्रक की बरामदगी थाना मालीपुर क्षेत्र के सिसानी अखईपुर से ताराखुर्द जाने वाले रोड पर रानीपुर चौराहे से घटकना की तरफ भागने का प्रयास करते समय दिनांकः 01.10.2021 की सुबह 08:15 पर बरामद करना दिखाया गया है, उक्त स्थान से ही प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिखाई गयी है, गिरफ्तारी के समय प्रार्थी के पास से फर्जी तौर पर कुल दो लाख 18 सौ रूपये व एक अदद मोबाइल सैमसंग डयूस बरामद करना दिखाया गया है, उक्त रिकवरी मेमो में प्रार्थी की मोटर साइकिल यू.पी.32 के.वाई.1625 को भी फर्जी ढंग से प्रश्नगत बनाया गया है, उक्त मोटर साइकिल प्रार्थी के पिता के नाम रजिस्टर्ड है। प्रश्नगत कथित चोरीशुदा ट्रक यू.पी.45ए.टी.6595 की बरामदगी वादी मुकदमा के घर से करीब 1 किमी0 दूरी पर दिखायी गयी है, प्रश्नगत बरामदगी मेमो में जिन परिस्थितियों एवं स्थान पर जिस तरह से बरामदगी व गिरफ्तारी दिखाई गयी है, वह गम्भीर संदेह उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रश्नगत ट्रक वाहन पर लदे सामान (चीनी) के विक्रय करने का स्थान व खरीददार

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.02.13 17:42:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यक्ति/व्यापारी को दौरान विवेचना प्रकाश में नहीं लाया गया, जो रिवकरी से संबंधित सारी प्रक्रिया को दूषित बना देता है। वादी मुकदमा काफी राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं, पेशे से अधिवक्ता है और कथित घटना के समय बार एसोसिएशन अम्बेडकरनगर के मंत्री/सचिव थे, जिनके द्वारा अपने पहुंच व प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए स्थानीय थाने की पुलिस से मिलकर मनगढ़न्त व फर्जी ढंग से बरामदगी दिखाते हुए मुकदमे में प्रार्थी को अभियुक्त बनाया है। प्रश्नगत कथित रिकवरी मेमो पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है और न तो रिकवरी मेमो पर कोई समय अंकित है और इसी प्रकार गिरफ्तारी मेमो पर किसी लोक साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है, जबकि रिकवरी मेमो पर दर्शित स्थान वादी मुकदमा के घर से 1 किमी0 मात्र दूर है। पुलिस रिकवरी के उपरान्त वादी को भी सूचित कर सकती थी और स्थानीय विषय/मामला होने के कारण स्वतंत्र साक्षी गिरफ्तारी व रिकवरी मेमो पर उपलब्ध हो सकते थे, इसलिए विवेचक द्वारा प्रश्नगत कथित चोरीशुदा ट्रक व अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी पूरी तरह से फर्जी एवं मनगढ़न्त एवं खानापूर्ति प्रतीत होती है। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की कथित गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तगण का पुलिस अभिरक्षा में मनमाने ढंग से संस्वीकृति का अभिकथन दर्ज किया गया है, जिसके अन्दर प्रश्नगत ट्रक के चालक हरेन्द्र यादव पुत्र जयराज यादव को ''बागभार होटल शाहगंज, यादव ढ़ाबा'' के सामने उक्त ट्रक की केबिन में शराब में अल्प्राश की गोली मिलाकर शराब पिलाने व उसके बाद ट्रक चालक हरेन्द्र के बोहोश हो जाने के उपरान्त अभियुक्त नदीम द्वारा ट्रक थोड़ी दूर चलाकर ले जाकर सभी अभियुक्त ने मिलकर गला दबाकर हरेन्द्र यादव की हत्या करने के अभिकथन को दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त प्रकार का कोई भी संस्वीकृति अभिकथन साक्ष्य विवेचक नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में प्रार्थी/अभियुक्त का भी कथित स्वीकृति अभिकथन दर्ज किया है, अन्य अभियुक्तों के संस्वीकृति अभिकथनों का मनमाने ढंग से समर्थन कराया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त प्रकार का कोई भी संस्वीकृति अभिकथन समक्ष विवेचक नहीं किया गया है। आगे उसी अभिकथन में मृतक हरेन्द्र यादव की लाश को गोमती नदी में फेंकना दर्ज किया है और प्रश्नगत ट्रक पर लदी हुई चीनी को लखनऊ अर्जुन नगर कैण्ट पहुंच कर अभियुक्त रिजवान के माध्यम से बेचने का अभिकथन दर्ज किया है। यहां पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवेचक द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दर्ज किया गया, संस्वीकृति अभिकथन साक्ष्य विधि के प्राविधानों के प्रतिकूल है, किसी भी दशा में अभियुक्त के विरूद्ध पढ़ा नहीं जा सकता। विवेचना के क्रम में मृतक चालक हरेन्द्र यादव की लाश की बरामदगी भी ''धोपा पुल के नीचे नदी के किनारे बबूल के पेड़ में फंसी हुई एक बोरी से अभियुक्तगण की निशानदेही पर दिनांकः 01.10.2021 को ही बरामद करना दर्शाया गया है, उक्त कथित लाश बरामदगी के मेमों पर भी किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर न होना प्रश्नगत लाश रिकवरी को संदिग्ध बनाती है, जिसकी फौती सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट दिनांकः 01.10.2021 को 22:57 बजे थाना लम्भुआ की

जी.डी. पर दिनांकः 02.10.2021 समय 5 बजे सुबह पंचायतनामा की कार्यवाही और लाश की सुपुर्दगी दर्शायी गयी है। यहां पर विशेष रूप से उल्लिखित करना है कि विवेचक महोदय द्वारा रिकवरी मेमों/गिरफ्तारी मेमों/अभियुक्तगण की संस्वीकृति अभिकथनों को दर्ज करने की कार्यवाही के उपरान्त स्थानीय थाना मालीपुर से कितने बजे प्रश्नगत लाश की बरामदगी हेतु प्रस्थान किया गया है, इसकी कोई रवानगी जी.डी. स्थानीय थाना मालीपुर से संबंधित संलग्न पत्रावली में नहीं है। उपरोक्त प्रक्रिया प्रश्नगत लाश बरामदगी कार्यवाही को संदिग्ध बनाती है। विवेचक महोदय द्वारा रिकवरी मेमों व अभियुक्तगण के संस्वीकृति के अभिकथन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना अन्तर्गत धारा–328,379,411,413,302,201/34/120बी. भा0दं0सं0 में परिवर्तित करते हुए विवेचना आगे बढ़ायी गयी और अन्य सहअभियुक्तगण के साथ प्रार्थी को जेल भेजा गया, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। पुलिस विवेचना व अभियोजनन कथानक के अनुसार प्रश्नगत ट्रक की चोरी उस पर लदे चीनी को बेचने हेतु ड्राइवर मृतक हरेन्द्र यादव को अल्प्राश की गोली शराब में पिलाकर गला दबाकर हत्या कर चीनी को लखनऊ अर्जुन नगर कैण्ट में बेचने का कथानक विवेचना के दौरान प्रकाश में लाया गया है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शव विच्छेदन के उपरान्त मृतक की मृत्यु का कारण जानने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के मृतक के शरीर के आंतरिक भाग के तत्वों को भेजा गया था परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार ''मृतक के शरीर में कोई विष नहीं पाया गया'', सम्बन्धित विषरा रिपोर्ट कागज सं0–4अ/51 संलग्न पत्रावली है। मृतक की विषरा रिपोर्ट सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को झूठा बना देता है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में पूर्ववर्ती आरोपित धाराओ में जमानत पर था, विवेचनोपरान्त विवेचक द्व ारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जरिए आरोप पत्र सं0–149/2021 अन्तर्गत धारा–379,411,413,120बी.,34 भा0दं0सं0 में मृतक हरेन्द्र की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के उपरान्त जरिए एस.सी.डी. रिपोर्ट प्रेषित करने के तथ्य के साथ आरोप पत्र दिनांकः 20.12.2021 को प्रेषित किया गया। जिस पर माननीय अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और आरोप विरचित होकर प्रार्थी/अभियुक्त का विचारण प्रारम्भ हुआ, जिसमें अब तक कुल 09 अभियोजन साक्षी परीक्षित हो चुके है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश दिनांक 04.04.2022 के आलोक में प्रश्नगत चोरी शुदा चीनी को अभियुक्त रिजवान के द्वारा अर्जुन नगर कैण्ट लखनऊ किसी व्यक्ति को बेचने के अभिकथित तथ्य पर अग्रिम विवेचना प्रारम्भ की गयी और प्रश्नगत चीनी के संबंध में विवेचक द्वारा अभियुक्त रिजवान के जमानत प्रार्थना पत्र की धारा–8 को आधार बनाया गया किन्तु अभियुक्त रिजवान की निशानदेही व संस्वीकृति के आधार पर प्रश्नगत 600 बोरी चीनी की बरामदगी दौरान विवेचना कभी नहीं हो पायी और न ही किसी चीनी खरीददार/व्यापारी का नाम ही प्रकाश में आया। इस प्रकार विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में आरोपित अपराध कत्तई साबित नहीं होता है। उपरोक्त मामले में प्रेषित पूरक

आरोप पत्र के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 302,120बी. भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी है, परन्तु विवेचक द्वारा कोई नया साक्ष्य प्रश्नगत आरोप के संदर्भ में संकलित नहीं किया गया है। अग्रिम विवेचना मात्र प्रश्नगत 600 बोरी के बेचने के तथ्य के संबंध में आदेशित की गयी थी, जिसके संबंध में अभियुक्त रिजवान के मजीद बयान के अलावा कोई साक्ष्य संकलित नहीं हुआ है, जो प्रश्नगत चीनी को अभियोजन कथानक के अनुसार बेचने के तथ्य को स्थापित करता हो। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बढ़ोत्तरी धारा–302,120बी. भा0दं0सं0 पूर्णतः अवैध है, उसके आधार पर नया आरोप/संशोधित आरोप का गठन/विरचन किया जाना विधि के प्रतिकूल है, जिसमें प्रार्थी को उन्मोचित किया जाना न्याय संगत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित पूरक आरोप पत्र के आधार पर आरोपित धारा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित करने की कृपा की जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक घटना कारित की गयी है, जिसके आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री विवेचना के दौरान एकत्रित हुई है। अभियुक्त की ओर से पेश किये गये उन्मोचन प्रार्थना–पत्र में दिये गये तर्क व आधार पर उसे आरोप के स्तर पर उन्मोचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा के विरूद्ध पूर्व में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–379,411,413,120बी.,34 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया, जिसपर अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण सत्र सुपुर्द किया गया। विवेचक द्वारा अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302,201 भा0दं0सं0 के तहत पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको सत्र सुपुर्दगी किया गया। पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। पत्रावली उपर्युक्त धाराओं में आरोप विरचना हेतु नियत है।

उभय पक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के पश्चात् की गयी विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा के विरूद्ध धारा–302,201 भा0दं0सं0 के तहत पूरक आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा इस स्तर पर पुलिस साक्ष्य एवं केस डायरी में अंकित गवाहों के बयान में आये विरोधभाष को इंगित करते हुए अभियुक्त को निर्दोष व कथित घटना में उसकी संलिप्तता से इंकार किया गया है और उसे वर्णित अपराध से उन्मोचित किये जाने का अनुरोध किया गया है

जबकि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है तथा पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य है। वाद के विचारण के दौरान अभियुक्त को आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित अपराध का विचारण करने हेतु आधार पर्याप्त हैं। इस स्तर पर अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा की ओर से आरोपित अपराध से उन्मोचन हेतु जो आधार लिये गये हैं, वह उसके उन्मोचन हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य से संपुष्ट नहीं हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य जरिये सी0बी0आई0–प्रति–डा0 अनूप कुमार श्रीवास्तव, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 3698** के मामले में सम्प्रेक्षित विधि व्यवस्था के अनुसार आरोप की विरचना के स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री या अभिलेख का विस्तृत परीक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं होता है और न ही यह विचार में लाया जाना अपेक्षित होता है कि उक्त सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। **तमिलनाडु राज्य–प्रति–एन0 सुरेश राजन व अन्य, ए0आई0आर0 2014 एस0सी0 (अनुपूरक) 1982** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही सम्प्रेक्षित विधि व्यवस्था के अनुसार आरोप विरचना के प्रक्रम पर केवल यह देखा जाना अपेक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने की उपधारणा का आधार पर्याप्त है अथवा नहीं।

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से उन्मोचन आवेदन में उन्मोचन हेतु लिये गये आधार अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आक्षेपित अभियोग में आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ब अन्तर्गत धारा–227/228 दं0प्र0सं0 पत्र स्वीकृत होने योग्य नहीं हैं, बल्कि निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सईद मोहम्मद हमजा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ब अन्तर्गत धारा–227/228 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता हैं।

अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन जारी हो। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 20.02.2026 को पेश हो।

दिनांकः–13.02.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी.6067